

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1626 / 2010 / जयपुर.

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त-चतुर्थ, जयपुर।

....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स केडिला फार्मास्यूटिकल्स लि.,
64-65, वैंकेटेश्वर कॉलोनी, सोडाला, जयपुर।

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. के. जैन,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-चतुर्थ, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-द्वितीय) जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 03.02.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या—19/अपील्स-II/आर.एस.टी./जयपुर/वि.व्.राज./2007-08 के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत पारित निर्धारण आदेश, दिनांक 06.02.2007, जो निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिये पारित किया गया था, में कायम अंतर कर ₹14,728/- सरचार्ज ₹2,210/- व अनुवर्ती ब्याज ₹5,603/- व पण्यावर्त कर ₹10,076/- की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों की जांच, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में बिक्रीत उत्पाद “माईलेज ड्रिकिंग पाऊडर” का विक्रय दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 11.07.2004 की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत मानकर, उक्त के विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद “माईलेज ड्रिकिंग पाऊडर” राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफ.डी/टैक्स-डिवी/2002-143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि

लगातार.....2

संख्या-186 की श्रेणी में होना मानकर, बिक्रीत उत्पाद को 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतर कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां कायम कर, आदेश पारित किया गया।

3. इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टर्नओवर टैक्स मुक्ति शुल्क का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2004 को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 द्वारा टर्नओवर टैक्स की दर एवं मुक्ति शुल्क देयता सम्बन्धी अधिसूचनाएं विलोपित होने के कारण दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 11.07.2004 के लिये टर्नओवर टैक्स मुक्ति शुल्क देय मानते हुए अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित कर, पण्यावर्त कर ₹10,076/- व अनुवर्ती ब्याज ₹687/- का आरोपण कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा "माईलेज ड्रिकिंग पाऊडर" को अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि संख्या-186 के तहत होना अवधारित कर, आरोपित किया गया अंतर कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद में महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल्स एवम् प्रोटीन्स होने के कारण केवल चिकित्सक की सलाह पर ही इसका सेवन किया जा सकता है तथा बीमार व्यक्ति की कमज़ोरी दूर करने, खून की कमी, वजन बढ़ाने हेतु चिकित्सक इसके सेवन की सलाह देते हैं। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 का अन्यथा रूप से निर्वचन कर,

लगातार.....3

अपील संख्या - 1626 / 2010 / जयपुर.

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद को 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना निर्धारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं है, जबकि विवादित वस्तु “माईलेज ड्रिकिंग पाऊडर” उक्त वर्णित अधिसूचना में वर्णित वस्तुओं में शामिल नहीं होने के कारण शेष रही वस्तुओं की दर (रेजीडयूरी दर) से कर योग्य थी जो कि आलोच्य अवधि में 10 प्रतिशत थी। अपने उक्त तर्क के समर्थन में मैसर्स एम्पायर स्टोर्स एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य (1972 आर आर डी 93), व माननीय तमिलनाडु उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम ए.के.सुन्दरम को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर किये गये करारोपण पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित होना प्रकट किया गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि चूंकि “माईलेज ड्रिकिंग पाऊडर” सीधे नहीं खाया जाता है ना ही कोई पेय पदार्थ है अतः उपरोक्त वर्णित किसी आईटम में शामिल नहीं है अतः उक्त सामान्य कर दर 10 प्रतिशत कर योग्य है जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 16 प्रतिशत की दर कर योग्य मानने का आदेश पूर्णतः अविधिक है। अपने उक्त तर्कों व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित पण्यावर्त कर व अनवृत्त ब्याज के संबंध में कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 द्वारा टर्नओवर टैक्स की दर एवं मुक्ति शुल्क देयता समाप्त की जा चुकी है एवं उक्त अधिसूचना में न तो कोई सेविंग कलाज है और न ही उक्त अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि का कोई उल्लेख अंकित है। अतः ऐसी स्थिति में, दिनांक 12.07.2004 को अधिसूचना जारी होने से व्यवहारी को पूरे वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिये टर्नओवर टैक्स मुक्ति शुल्क की देयता से मुक्ति का लाभ मिलेगा। अपने उक्त तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 2140 व 2141 / 2006 / जोधपुर निर्णय दिनांक 04.03.2009 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के मूमल मार्बल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के निर्णय दिनांक 30.10.2000 (130 एस टी सी 160) एवं माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के स्टेट ऑफ ऑन्ध्रप्रदेश बनाम वीबीसी एक्सपोर्ट्स लिंग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.7.96 (103 एस टी सी 532) के न्यायिक दृष्टान्तों को प्रोद्धरित कर, उक्त बिन्दु के संबंध में अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, उक्त बिन्दु

लगातार.....4

पर भी प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

8. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स-डिवी/2002-143 दिनांक 22.03.2002 का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

All kinds of eatables & non-alcoholic potable liquids such as fruit syrups, distilled juices, jams (chatani, murabbas), fruit juices, drink concentrates of all types and forms, essences, concentrates, corn flakes and wheat flakes, custard powder, baking powder, ice-cream powder and packed masala.

9. अब हमारे समक्ष निर्णयार्थ बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "माईलेज ड्रिकिंग पाउडर" उक्त वर्णित अधिसूचना से शास्ति है अथवा नहीं? इस संबंध में राजस्थान राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स एम्पायर स्टोर एजेन्सीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा "बॉर्नवीटा" को अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (16)एफडी/सीटी/69-2 दिनांक 8.3.1969 की क्रमांक संख्या 49 के आधार पर बॉर्नवीटा को इस प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं होना अवधारित कर, "बॉर्न वीटा" को सामान्य कर दर (रेजीडयूरी रेट) से कर योग्य माना है। इस संबंध में अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 49 का मूल पठन इस प्रकार है:-

All kinds of eatables and non-alcoholic potable liquids such as biscuits confectionery, fruits syrups acrated waters, distilled juices ("ark"), jams (chatani, murabbas), fruit juices, essences, "gulkand" etc., packed in tins or bottles or plastic containers or scaled packing of any kind.

10. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उपयुक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 08.03.1969 व अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि संख्या 186 के समान ही है। प्रविष्टि संख्या 186 में उदाहरण के लिए दिये गये कुछ पदार्थ और जोड़ दिये गये हैं। परन्तु 08.03.1969 की मूल भावना "All kinds of eatables & non-alcoholic potable liquids" दोनों ही प्रविष्टियों में समान है।

11. हस्तगत प्रकरण में उक्त को प्रोद्धरित करने का केवल एक ही कारण इस पीठ के समक्ष रहा कि विवादित वस्तु "माईलेज ड्रिकिंग पाउडर" eatable

है कि नहीं ? इस संबंध में यदि eatable शब्द की परिभाषा का अध्ययन करें तो eatable वह वस्तु होती है जो सीधे खाने योग्य होती हो अथवा खाद्य हो । चूंकि “बॉर्न वीटा” की तरह ही “माईलेज ड्रिकिंग पाउडर” सीधे नहीं खाया जाता है वरन् दूध अथवा पानी में घोलकर पिया जाता है अतः उक्त भी eatable की श्रेणी में नहीं आता है । फलस्वरूप, हस्तगत विवादित वस्तु भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.

4(30)एफडी/टैक्स-डिवी/2002-143 दिनांक 22.03.2002 में वर्णित शब्दावली में नहीं होने के कारण यह 10 प्रतिशत की सामान्य दर से कर योग्य है । चूंकि बॉर्नवीटा के समान ही उक्त विवादित एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद भी शरीर को पोषण देने वाले सभी तत्व मौजूद नहीं हैं इसलिए भी यह खाद्य (Food) की श्रेणी में नहीं आता है । लिहाजा, उपर्यक्त विश्लेषण के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु “माईलेज ड्रिकिंग पाउडर” को 10 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया जाता है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि उक्त बिन्दु पर की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

12. जहां तक अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित पण्यावर्त कर व अनुवर्ती ब्याज का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अध्ययन किया गया । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67) टैक्स/2004-25 दिनांक 12.07.04 के पण्यावर्त कर के संबंध में पूर्व में जारी की गयी अधिसूचनाओं का निरसन किया गया है । उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:-

S.O.65-In exercise of the powers conferred by section 13 A read with section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994(Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this Department's following notifications(as amended from time to time,)namely:-

- 1- No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-37 dated 01-05-2003.
- 2- No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-38 dated 01-05-2003 and
- 3- No. F.4(4)FD/Tax Div./99-pt-59 dated 28-06-2003.

13. ऊपर वर्णित अधिसूचना के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अधिसूचना के जरिये अधिनियम की धारा 13क सप्तित धारा 15 के अन्तर्गत आरोपणीय पण्यावर्त कर एवम् मुक्ति शुल्क, जिसके लिये ऊपर वर्णित

अपील संख्या - 1626/2010/जयपुर.

अधिसूचनायें जारी की गयी थीं, को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2004 की अधिसूचना के जरिये निरस्त कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 12.07.04 को बिना किसी “सेविंग क्लॉज” के प्रचलित किया गया है। अतः अब हमारे समक्ष यह प्रश्न यह है कि उक्त अधिसूचना में “सेविंग क्लॉज” के अभाव में, किस प्रकार से निर्वचित किया जाये? इस विधिक बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा मै 0 मूमल मार्बल्स लि. बनाम राजस्थान राज्य 130 एस.टी.सी 160 प्रकरण में विचार कर, माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अवधारित कर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-


“.....No action under a provision can be taken after the provision has been deleted unless the said provision has been saved by a specific provision to that effect. The apex Court in Kolhapur Canesugar Works Ltd. Vs Union of India reported in JT 2000(1) SC 453 held that where there is no saving, then proceedings initiated under the old rule becomes non est. The decision of apex Court is based on a decision in Rayala Corporation (P) Ltd. Vs Director of Enforcement, New Delhi reported in AIR 1970 SC 494. The general rule is after the temporary provision has expired, no proceedings can be taken upon it and it ceases to have any further effect unless saved by an express provision, i.e., the saving clause. The action taken during the life of the said provision has been saved.....” समान विवादित बिन्दु पर जहां निरसन की तिथि का विशिष्ट उल्लेख अधिसूचना में यदि नहीं है, तो इसे किस तिथि से प्रभावी माना जाये, के बिन्दु पर समस्त विधिक स्थिति पर विचार कर, माननीय कर बोर्ड, की समन्वयपीठ (एकलपीठ), द्वारा अपील संख्या 2433, 2434, 2435 / 2007 / नागौर व कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) के निर्णय दिनांक 27.07.2009 व अपील संख्या 2140 व 2141 / 2006 / जोधपुर के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 04.03.2009 23 टैक्स अपडेट 304 में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 103 एस.टी.सी 532 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि पण्यावर्त कर का दायित्व विभागीय स्पष्टीकरण दिनांक 12.10.04 के आधार पर नहीं है। अतः “सेविंग क्लॉज” के अभाव में अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के आलोक में, पण्यावर्त कर का आरोपण निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिये उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात्, पारित निर्धारण आदेश में करना विधिक एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित


अपील संख्या - 1626/2010/जयपुर.

अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, आरोपित पण्यावर्त कर व अनुवती ब्याज के बिन्दु पर भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

14. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल) 3. 3. 2015
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य